

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड Bharat Electronics Limited

(भारत सरकार का उद्यम)

(A Government of India Enterprise)

सी आई एन / CIN : L32309KA1954GO1000787

पंजीकृत व कार्पोरेट कार्यालय - आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूरु - 560 045

Registered & Corporate Office : Outer Ring Road, Nagavara, Bengaluru - 560 045

सूचना / NOTICE

प्रति

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सभी सदस्य

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सदस्यों की 66वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) बुधवार, दिनांक 30 सितंबर, 2020 को सुबह 10 बजे (आईएसटी) वीडियो कांफ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यम ("ओएवीएम") से निम्नलिखित कारोबार संचालित करने हेतु आयोजित की जाएगी -

सामान्य कारोबार-

1. निम्नलिखित पर विचार करने और उसे स्वीकार करने हेतु -

क) 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण और उन पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन; और

ख) 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन ।

2. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ₹1.40 (140%) के अंतरिम लाभांश के भुगतान को संपुष्ट करना तथा ₹ 1 प्रत्येक पूर्ण चुकता शेयर पर ₹ 1.40 (140%) प्रति ईक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश घोषित करना ।

3. श्रीमती आनंदी रामलिंगम (डीआईएन-07616518) जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होती हैं और पात्र होने पर स्वयं को पुनःनियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना ।

विशेष कारोबार -

4. श्रीमती शिखा गुप्ता (डीआईएन-08597649) की निदेशक के रूप में नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने हेतु -

To

The Members of Bharat Electronics Limited

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 66th Annual General Meeting (the AGM) of the Members of Bharat Electronics Limited will be held on Wednesday, 30 September 2020, at 10:00 A.M (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To consider and adopt:

a) the Audited Financial Statement(s) of the Company for the financial year ended 31 March 2020 and the reports of the Board of Directors and the Auditors thereon; and

b) the Audited Consolidated Financial Statement(s) of the Company for the financial year ended 31 March 2020 and the reports of Auditors thereon.

2. To confirm the payment of interim dividend of ₹ 1.40 (140%) per equity share and to declare final dividend of ₹ 1.40 (140%) per equity share of ₹ 1 each fully paid up for the financial year 2019-20.

3. To appoint a Director in place of **Mrs. Anandi Ramalingam** (DIN: 07616518), who retires by rotation and being eligible, offers herself for re-appointment.

SPECIAL BUSINESS:

4. Appointment of **Mrs Shikha Gupta** (DIN: 08597649) as Director.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution:**

“संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन या उसके पुनःअधिनियमन सहित) के तारतम्य में, श्रीमती शिखा गुप्ता (डीआईएन-08597649), जिन्हें भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. डीडीपी-E0032/4/2018-D(BEL) दिनांक 22 जुलाई 2019 द्वारा निदेशक (अन्य यूनिटें) नियुक्त किया गया और तदुपरांत जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के तारतम्य में इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने हेतु दिनांक 1 दिसंबर, 2019 से निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और निदेशक (अन्य यूनिटें) के रूप में पदनामित किया गया और जिनके संबंध में कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (1) के तहत एक सदस्य से कंपनी का निदेशक पद धारित करने का प्रस्ताव रखते हुए अपना आशय व्यक्त करते हुए लिखित में एक सूचना प्राप्त की है, को कंपनी के निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाए और एतद्वारा नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगी।”

5. श्री दिनेश कुमार बत्रा (डीआईएन-08773363) की निदेशक के रूप में नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

“संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन या उसके पुनःअधिनियमन सहित) के तारतम्य में, श्री दिनेश कुमार बत्रा (डीआईएन-08773363), जिन्हें भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. डीडीपी- E0032/1/2019-D(BEL) दिनांक 29 अप्रैल 2020 द्वारा निदेशक (वित्त) नियुक्त किया गया और तदुपरांत जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के तारतम्य में इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने हेतु निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2020 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ के रूप में पदनामित किया गया, और जिनके संबंध में कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के तहत आवश्यक राशि जमा करने के साथ एक सदस्य से लिखित में सूचना प्राप्त की है जिसमें सदस्य ने श्री दिनेश कुमार बत्रा को कंपनी के निदेशक के पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव का आशय व्यक्त किया था, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), Mrs Shikha Gupta (DIN: 08597649), who was appointed as Director (Other Units) by the Govt. of India, Ministry of Defence vide letter no. DDP-E0032/4/2018-D(BEL) dated 22 July 2019 and subsequently appointed as an Additional Director and designated as Director (Other Units) by the Board of Directors w.e.f 1 December 2019 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a Member along with the deposit of the requisite amount under Section 160 (1) of the Companies Act, 2013, signifying her intention to propose Mrs Shikha Gupta as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India.”

5. Appointment of Mr Dinesh Kumar Batra (DIN: 08773363) as Director.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution**:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), Mr Dinesh Kumar Batra (DIN: 08773363), who was appointed as Director (Finance) by the Govt. of India, Ministry of Defence vide letter no. DDP-E0032/1/2019-D(BEL) dated 29 April 2020 and subsequently appointed as an Additional Director and designated as Director (Finance) & CFO by the Board of Directors w.e.f 1 August 2020 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a Member along with the deposit of the requisite amount under Section 160 (1) of the Companies Act, 2013, signifying her intention to propose Mr Dinesh Kumar Batra as a candidate for the

और एतद्वारा नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे।”

6. श्री एम वी राजशेखर (डीआईएन-08850171) की निदेशक के रूप में नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु –

“**संकल्प किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 154 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित) के तारतम्य में, श्री एम वी राजशेखर (डीआईएन-08850171), जिन्हें भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. डीडीपी-ई0032/2/2019-डी (बीईएल) दिनांक 6 जुलाई, 2020 द्वारा निदेशक (अनुसंधान व विकास) नियुक्त किया गया और तदुपरांत उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के तारतम्य में इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने हेतु निदेशक मंडल द्वारा 1 सितंबर, 2020 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और निदेशक (अनुसंधान व विकास) के रूप में पदनामित किया गया और जिनके संबंध में कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के तहत आवश्यक राशि जमा करने के साथ एक सदस्य से लिखित में सूचना प्राप्त की है जिसमें सदस्य ने श्री एम वी राजशेखर को कंपनी के निदेशक के पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव का आशय व्यक्त किया था, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्वारा नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे।”

7. लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु –

“**संकल्प किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों, जिन्हें उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाना है (वर्तमान में उसमें किए गए किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या पुनःप्रवर्तन सहित), के तारतम्य में, 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखा परीक्षा करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त मे. मूर्ति एंड कं. एलएलपी, लागत लेखाकार,

office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, not liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India.”

6. Appointment of Mr M V Rajasekhar (DIN: 08850171) as Director.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution**:

“**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), Mr M V Rajasekhar (DIN: 08850171), who was appointed as Director (Research & Development) by the Govt. of India, Ministry of Defence vide letter no. DDP-E0032/2/2019-D(BEL) dated 6 July 2020 and subsequently appointed as an Additional Director and designated as Director (Research & Development) by the Board of Directors w.e.f 1 September 2020 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a Member along with the deposit of the requisite amount under Section 160 (1) of the Companies Act, 2013, signifying her intention to propose Mr M V Rajasekhar as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India.”

7. Ratification of Remuneration of the Cost Auditor.

To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as an **Ordinary Resolution**:

“**RESOLVED THAT** pursuant to Section 148 and other applicable provisions, if any of the Companies Act, 2013 read with the relevant Rules thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), consent of the Company be and is hereby accorded for the payment of remuneration of ₹ 350,000 (Rupees Three Lakh Fifty Thousand only) plus applicable taxes to M/s Murthy

बेंगलूरु (एलएलपिन- AAB-1402 और फर्म पंजीकरण सं. 000648) को ₹ 350,000/- (रुपए तीन लाख पचास हजार मात्र) तथा लागू कर के पारिश्रमिक का भुगतान करने हेतु कंपनी की सहमति प्रदान की जाए और एतद्वारा प्रदान की जाती है।”

& Co. LLP, Cost Accountants, Bengaluru (LLPIN- AAB-1402 & Firm Registration No. 000648) appointed by the Board of Directors of the Company as Cost Auditors to conduct the audit of cost records of the Company for the financial year ending on 31 March 2021.”

मंडल के आदेशानुसार
कृते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

By order of the Board
For Bharat Electronics Limited

बेंगलूरु
7 सितंबर 2020

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

Bengaluru
7 September 2020

S Sreenivas
Company Secretary

नोट

- कोविड-19 की मौजूदा महामारी को ध्यान में रखते हुए, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने परिपत्र दिनांक 05 मई 2020, जिसे परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल 2020 और 13 अप्रैल 2020 (जिसे यहाँ संयुक्त रूप से "एमसीए परिपत्र" कहा गया है) के साथ पढ़ा जाना है, द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य श्रव्य-दृश्य (ओएवीएम) माध्यम से किसी सामान्य स्थल पर सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति के बिना सामान्य वार्षिक बैठक ("एजीएम") करने की अनुमति दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), सेबी (सूचीकरण की बाध्यताएं एवं प्रकटन की अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सूचीकरण विनियम") और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की एजीएम वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। एजीएम का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय माना जाएगा।
- चूंकि एजीएम एमसीए परिपत्रों के अनुसार वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा एजीएम के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए इस सूचना के साथ प्रॉक्सी फार्म और उपस्थित पर्ची संलग्न नहीं किया गया है।
- वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम को पूरा करने के उद्देश्य से की जाएगी।
- कार्पोरेट / संस्थागत सदस्य (यानी व्यक्ति / एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर) अपनी ओर से वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और एजीएम में सुदूर ई-मतदान या मतदान के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के हकदार हैं। बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को अधिकृत करने के इच्छुक कार्पोरेट / संस्थागत सदस्यों से अनुरोध है कि वे स्कूटिनाइज़र को मंडल के संकल्प / प्राधिकरण पत्र की प्रमाणित प्रति gthirupal@gmail.com पर भेजें और इसकी प्रति अधिनियम की धारा 113 के तारतम्य में, बैठक में उनकी ओर से वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने और उनकी ओर से मतदान करने हेतु अपने प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए कंपनी पंजीयक और अंतरण एजेंट (आरटीए) मे. इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि. को उनके ईमेल आईडी irg@integratedindia.in पर भेजें।
- विशेष कारोबार के संबंध में अधिनियम की धारा 102(1) के तारतम्य में ऊपर बताए गए अनुसार संबंधित व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है और इस बैठक की सूचना का भाग है। सूचीकरण विनियमों के विनियम 26(4) और 36(3) तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठक

NOTE

- In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its circular dated 5 May 2020 read with circulars dated 8 April 2020 and 13 April 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM), without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("The Listing Regulations") and MCA Circulars, the AGM of the Company is being held through VC/OAVM. The deemed venue for the AGM shall be the Registered Office of the Company.
- Since this AGM is being held through VC / OAVM pursuant to MCA Circulars, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the AGM and therefore the Proxy Form and Attendance Slip is not annexed to this Notice.
- Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.
- Corporate/ Institutional Members (i.e. other than individuals / HUF, NRI, etc.) are entitled to appoint authorized representatives to attend the AGM through VC/OAVM on their behalf and cast votes through remote e-voting or voting at the AGM. Corporate/ Institutional Members intending to authorize their representatives to participate and vote at the Meeting are requested to send a certified copy of the Board Resolution / Authorization letter to the Scrutinizer through e-mail at gthirupal@gmail.com with a copy marked to Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) M/s Integrated Registry Management Services Pvt. Ltd. at their e-mail id irg@integratedindia.in, authorizing its representative(s) to attend the AGM through VC/OAVM and cast vote on their behalf, pursuant to section 113 of the Act.
- Relevant Explanatory Statement pursuant to Section 102(1) of the Act, in respect of Special Business as set out above is annexed hereto and forms part of the Notice of this meeting. Details of Directors seeking appointment or re-appointment at the AGM, as required under

(एसएस-2) पर सचिवीय मानक के खंड 1.2.5 के तहत यथा अपेक्षित, एजीएम में नियुक्ति या पुनःनियुक्त चाहने वाले निदेशकों के विवरण भी संलग्न हैं जो इस बैठक की सूचना का भाग बनते हैं।

6. उक्त एमसीए के परिपत्रों तथा सेबी के परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के साथ-साथ इस एजीएम की सूचना ऐसे सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है जिनके ईमेल एड्रेस कंपनी / डिपॉजिटारियों के पास दर्ज हैं। सदस्य नोट करें कि एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in पर, स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com में भी उपलब्ध होंगे।

ऐसे सदस्य जिन्होंने अपने ईमेल एड्रेस दर्ज नहीं कराए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर कंपनी के आरटीए मे. इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि. के पास एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 भेजने के प्रयोजनार्थ और ई-मतदान के अनुदेशों के लिए लिंक <https://www.integratedindia.in/emailupdtation.aspx> पर क्लिक करते हुए अस्थायी रूप से दर्ज कराएँ / अपडेट कर लें। वैकल्पिक रूप से, सदस्य एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 और ई-मतदान के अनुदेश भेजने के लिए, अपने ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, स्व-अनुप्रमाणित पैन कॉपी और इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में क्लाइंट मास्टर कॉपी और वास्तविक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाण-पत्र की कॉपी प्रदान करते हुए विधिवत् हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति के साथ-साथ अपने अनुरोध कंपनी के आरटीए को उनके ईमेल आईडी irg@integratedindia.in पर भेज सकते हैं।

7. कंपनी की सदस्यों की पंजी और शेयर अंतरण पुस्तकें 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लाभांश, यदि एजीएम में घोषित हो, का भुगतान करने के लिए सदस्यों की हकदारिता तय करने के प्रयोजनार्थ **गुरुवार, 17 सितंबर, 2020 से लेकर रविवार, 20 सितंबर, 2020** (दोनों दिनों को मिलाकर) बंद रखी जाएगी।

निदेशक मंडल ने ₹ 1 के पूर्ण चुकता शेयर पर ₹ 1.40/- (140%) प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश की घोषणा की है जिसे वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान अदा किया गया। ऐसे सदस्य जिन्होंने अपने लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं किया है या प्राप्त नहीं किया है, वे कालातीत वारंटों को दोबारा विधिमान्य करने या कालातीत वारंटों / डीडी के स्थान पर डीडी प्राप्त करने के लिए कंपनी के पंजीयक और अंतरण एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। निदेशक मंडल ने

Regulation 26(4) and 36(3) of the Listing Regulations and clause 1.2.5 of Secretarial Standard on General Meeting (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, are also annexed and forms part of the Notice of this meeting.

6. In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular dated 12 May 2020, Notice of the AGM along with the Annual Report 2019-20 is being sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depositories. Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report 2019-20 will also be available on the Company's website www.bel-india.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

Members who have not registered their e-mail address are requested to temporarily register/update their e-mail address and mobile number with Company's RTA M/s Integrated Registry Management Services Pvt. Ltd., by clicking the link: <https://www.integratedindia.in/emailupdtation.aspx> for the purpose of sending Notice of the AGM, Annual Report 2019-20 and e-voting instructions. Alternatively, Members may send their request to Company's RTA at their e-mail id irg@integratedindia.in along with scanned copy of request letter duly signed, providing the e-mail address, mobile number, self-attested PAN copy and client master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending Notice of the AGM, Annual Report 2019-20, and the e-voting instructions.

7. The Company's Register of Members and Share Transfer Books will remain be closed from **Thursday, 17 September, 2020 to Sunday, 20 September 2020** (both days inclusive) for the purpose of determining entitlement of Members for the payment of dividend for the financial year ended 31 March 2020, if declared at the AGM.

The Board of Directors has declared an interim dividend of ₹ 1.40/- (140%) per equity share of ₹ 1/- each fully paid-up which was paid during the financial year 2019-20. Members who have not encashed or not received their dividend warrants/DDs may approach Registrar and Transfer Agent of the Company for revalidating the expired warrants/DDs. The Board of Directors, in its Meeting held on 29 June 2020, has recommended a final dividend of

दिनांक 29 जून, 2020 को हुई अपनी बैठक में कंपनी के प्रति ₹ 1 प्रत्येक पर इक्विटी शेयर पर रु. 1.40/- (140%) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। वर्ष 2019-20 का अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में घोषित हो, घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर ऐसे सदस्यों को देय होगा जिनके नाम 16 सितंबर 2020 को सदस्यों की कंपनी पंजी में वास्तविक शेयरों के रूप में दर्शित होंगे। बहरहाल, डीमटीरियल रूप में धारित शेयरों के संबंध में, लाभांश का भुगतान ऐसे व्यक्तियों को किया जाएगा जिनके नाम डिपोजिटारियों द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार 16 सितंबर 2020 को कारोबारी घंटों की समाप्ति पर हितलाभी स्वामियों के रूप में दर्शित होंगे।

9. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों को धारित करने वाले सदस्य नोट करें कि डिपोजिटरी सहभागी (डी.पी.) द्वारा प्रदान किए गए बैंक खाते के विवरण का उपयोग कंपनी द्वारा लाभांश वारंट मुद्रित करने के लिए किया जाएगा। ऐसे सदस्य जो अपने बैंक खाते के विवरण अद्यतन करना / बदलना चाहते हैं, वे एमआईसीआर कोड सहित बैंक खाते के संपूर्ण विवरण के साथ ऐसे परिवर्तनों के बारे में अपने संबंधित डी.पी. को सूचित कर सकते हैं। वास्तविक रूप में शेयरों को धारित करने वाले सदस्य कंपनी के आरटीए को निरस्त किया गए चेक के साथ अपने बैंक विवरण भेज सकते हैं। ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण अद्यतन नहीं किए हैं, लाभांश वारंट / डिमांड ड्राफ्ट / चेक उनके दर्ज पत्तों पर भेजे जाएंगे। लाभांश वारंटों / डीडी की धोखाधड़ी से नकदीकरण करने से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने संबंधित डिपोजिटरी सहभागी (डी.पी.) के पास अपने बैंक खाते के विवरण अद्यतन करा लें।
10. सेबी के आज्ञापक परिपत्र दिनांक 20 अप्रैल, 2018 के तारतम्य में, शेयरों को वास्तविक रूप में धारित करने वाले सदस्य जिनके लेजर फोलियो स्थायी खाता संख्या (पैन) के साथ अद्यतन नहीं है, को अद्यतन हेतु कंपनी के आरटीए में उसे प्रस्तुत करना होगा। शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे डी.पी. जिनके पास उनके इलेक्ट्रॉनिक खाते रखे गए हैं, को पैन प्रस्तुत करें।
11. 'हरित पहल' का समर्थन करने के लिए, ऐसे सदस्य जिन्होंने अब तक अपने ईमेल एड्रेस को दर्ज नहीं कराया है, से अनुरोध है कि वे अपने डीपी के पास दर्ज करा लें यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित हैं और यदि उनके द्वारा वास्तविक रूप में धारित शेयर किए जाते हैं, तो कंपनी के आरटीए के पास दर्ज कराएँ।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने नाम, डाक का पता, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन / मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), आदेश, नामांकन, मुख्तारनामा, बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम और शाखा का विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड आदि से संबंधित परिवर्तन, यदि कोई हो, की सूचना अपने संबंधित डी.पी. को, यदि शेयर

₹ 1.40/- (140%) per equity share of ₹ 1/- each fully paid up. The Final Dividend for the year 2019-20, if declared at the AGM, will be paid within 30 days from the date of declaration, to those Members whose names appear on the Company's Register of Members as on 16 September 2020 in respect of physical shares. However, in respect of shares held in dematerialized form, the dividend will be payable to those persons whose names appear as beneficial owners as at the closure of the business hours on 16 September 2020 as per the details furnished by the depositories.

9. Members holding shares in electronic mode may note that bank account details provided by the Depository Participants (DPs) will be used by the Company for printing on dividend warrants. Members who wish to update/change their bank account details may advise their respective DPs about such change with complete details of bank account including MICR Code. Members holding shares in physical form may send their bank details along with cancelled cheque to Company's RTA. For shareholders who have not updated their bank account details, dividend warrants/demand drafts/cheques will be sent to their registered addresses. In order to provide protection against fraudulent encashment of dividend warrants/DDs, shareholders are requested to update their Bank account details with their respective Depository Participants (DPs).
10. Pursuant to SEBI mandate vide its circular dated 20 April 2018, Members holding shares in physical mode whose ledger folios have not been updated with Permanent Account Number (PAN) are required to submit the same to Company's RTA, for updation. Members holding shares in electronic form are requested to submit the PAN to DPs with whom they are maintaining their electronic accounts.
11. To support the 'Green Initiative', Members who have not yet registered their e-mail addresses are requested to register the same with their DPs in case the shares are held by them in electronic form and with Company's RTA in case the shares are held by them in physical form.

Members are requested to intimate changes, if any, pertaining to their name, postal address, e-mail address, telephone/ mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, power of attorney, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc., to

इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित किए हों, और कंपनी के आरटीए मे. इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि., 30, रमणा रेसीडेन्सी, भूतल, 4था क्रॉस, सम्पिगे रोड, मल्लेश्वरम, बेंगलूरु - 560003 को, यदि शेयर वास्तविक रूप में धारित किए हों, को दें।

12. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और धन-वापसी) नियम, 2016 जिसे उसके संबंधित परिपत्रों एवं संशोधनों ('आई.ई.पी.एफ. नियम') के साथ पढ़ा जाना है, के तारतम्य में, नियत तारीख से सात वर्षों की अवधि के लिए अदत्त या दावा न की गई लाभांश की राशि को केंद्र सरकार द्वारा गठित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आई.ई.पी.एफ.) को अंतरित करना आवश्यक है। तदनुसार, कंपनी ने आई.ई.पी.एफ. को अंतिम लाभांश वर्ष 2011-12 से संबंधित अदत्त और दावा न की गई राशि ₹ 1,15,408.80 अंतरित कर दिया है।

वर्ष 2012-13 का दावा न किया गया / अदत्त अंतिम लाभांश तथा वर्ष 2013-14 का अंतरिम लाभांश वर्ष 2020-21 के दौरान आई.ई.पी.एफ. को अंतरित किया जाना है। कंपनी ने यथा 31 मार्च, 2020 को कंपनी के पास मौजूद अदत्त और दावा न की गई राशियों के विवरण कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in पर अपलोड कर दिया है। दावा किए जाने वाले लाभांश का दावा करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव के साथ पत्राचार करें।

अधिनियम की धारा 124 के तहत यथा आवश्यक, ऐसे इक्विटी शेयर जिनके संबंध में सदस्यों द्वारा निरंतर सात वर्षों या उससे अधिक की अवधि के लिए दावा नहीं किया गया है, को कंपनी द्वारा आई.ई.पी.एफ. में अंतरित किया गया है। अंतरित किए गए शेयरों का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in पर अपलोड किया गया है।

13. सदस्यों को सूचित किया जाता है कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 (यथा संशोधित), के विनियम 40(1) के तारतम्य में, वास्तविक रूप में प्रतिभूतियों का अंतरण करने के अनुरोध पर कंपनी द्वारा तब तक कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक प्रतिभूतियों के पारेषण या रूपांतरण के मामलों को छोड़कर प्रतिभूतियाँ डिपोजिटरी के पास डीमटीरियलीकृत रूप में धारित की जाती है इसलिए सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे वास्तविक रूप से धारित प्रतिभूतियों का डीमैट करा लें।
14. वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार, दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों द्वारा प्राप्त लाभांश आय कर-योग्य होगी और कंपनी को निर्धारित दरों पर सदस्यों को अदा किए गए लाभांश से स्रोत पर कर (टी.डी.एस.) की कटौती करनी होगी। विभिन्न वर्गों की निर्धारित दरों के लिए, सदस्यों से अनुरोध

their respective DPs, in case the shares are held by them in electronic form and to the Company's RTA M/s Integrated Registry Management Services Pvt. Ltd., 30, Ramana Residency, Ground Floor, 4th Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bengaluru – 560003, in case the shares are held by them in physical form.

12. Pursuant to the provisions of Companies Act, 2013 and Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 read with the relevant circulars and amendments thereto ('the IEPF Rules'), the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the due date is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF), constituted by the Central Government. The Company had, accordingly, transferred ₹ 1,15,408.80 being the unpaid and unclaimed dividend amount pertaining to Final Dividend for the year 2011-12 to IEPF.

The unclaimed/ unpaid final dividend for the year 2012-13 and interim dividend for the year 2013-14 are due for transfer to IEPF during 2020-21. The Company has uploaded the details of unpaid and unclaimed amounts lying with the Company as on 31 March 2020 on the website of the Company www.bel-india.in. Members wishing to claim dividends that remain unclaimed are requested to correspond with the Registrar and Share Transfer Agents or the Company Secretary, at the Company's Registered Office.

As required under Section 124 of the Act, equity shares, in respect of which dividend has not been claimed by the Members for seven consecutive years or more, have been transferred by the Company to IEPF. Details of shares transferred have been uploaded on the website of the Company www.bel-india.in.

13. Members are informed that pursuant to Reg.40(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 (as amended), request for effecting transfer of securities in physical form shall not be processed by the Company unless the securities are held in dematerialized form with a Depository, except in case of transmission or transposition of securities. Hence the Members are requested to dematerialize their physical holding.
14. Pursuant to Finance Act 2020, dividend income will be taxable in the hands of shareholders w.e.f. 1 April 2020 and the Company is required to deduct tax at source (TDS) from dividend paid to Members at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories,

है कि वे वित्त अधिनियम, 2020 और उसके संशोधन देखें। कंपनी को उचित टीडीएस तय करने / कर दर लागू करना रोक रखने में सक्षम बनाने हेतु, सदस्यों से अनुरोध है कि वे **28 सितंबर, 2020** से पहले <https://www.integratedindia.in/ExemptionFormSubmission.aspx> में कंपनी के आरटीए में इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि. में अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करा लें। उसके बाद कर निर्धारण / कटौती के बारे में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी / कंपनी के आरटीए (यदि शेयर वास्तविक रूप में धारित करते हों) और डिपॉजिटरी (यदि शेयर डीमैट माध्यम में धारित किए हों) में अपने पैन को अद्यतन करा लें।

15. जो सदस्य एजीएम में प्रस्तुत किए जाने वाले खाते या किसी अन्य मामले के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे secretary@bel.co.in पर ईमेल द्वारा एजीएम की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले कंपनी को इस बारे में लिखें। इस पर कंपनी द्वारा उचित उत्तर दिया जाएगा।
16. ऐसे सदस्य जो शेयरों को वास्तविक रूप में धारित करते हैं, कंपनी (शेयर पूंजी एवं ऋणपत्र) नियम, 2014 में वर्णित अनुसार फार्म एसएच-13 में किसी भी ऐसे व्यक्ति को नामित करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के परिप्रेक्ष्य में नामांकन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें कंपनी में उनके शेयर उक्त फार्म में बताई गई घटना के घटित होने पर प्राप्त होते हैं। वास्तविक रूप में शेयरों को धारित करने वाले व्यक्ति कंपनी के आरटीए को फार्म एसएच-13 दो प्रतियों में भेजें। यदि शेयर डीमैटीरियलीकृत रूप में धारित किए जाते हैं तो संबंधित डीपी में नामांकन दर्ज कराए जाएं।
17. कंपनी ने 66वीं एजीएम के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (भारत) लिमिटेड (सीडीएसएल) को नियुक्त किया है। सदस्य वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने या अपनी सुरक्षित लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करते हुए <https://www.evotingindia.com> की ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग इन कर एजीएम के लाइव वेबकास्ट को देख सकेंगे।
18. वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए अनुदेश -
क. सदस्यों को सीडीएसएल की ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य <https://www.evotingindia.com> में सुदूर ई-वोटिंग संबंधी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए शेयरधारक / सदस्य के लॉगिन के तहत उक्त सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। वीसी / ओएवीएम का लिंक शेयरधारक / सदस्य के लॉगिन में उपलब्ध होगा जहाँ कंपनी का ईवीएसएन प्रदर्शित होगा।

the Members are requested to refer to the Finance Act, 2020 and amendments thereof. To enable the Company to determine the appropriate TDS/ withholding tax rate applicability, Members are requested to upload the requisite documents with the Company's RTA M/s Integrated Registry Management Services Pvt. Ltd. at <https://www.integratedindia.in/ExemptionFormSubmission.aspx> on or before **28 September 2020**. No communication on the tax determination / deduction shall be entertained thereafter. The shareholders are requested to update their PAN with the Company / Company's RTA (in case of shares held in physical mode) and depositories (in case of shares held in demat mode).

15. Members seeking any information with regard to the accounts or any matter to be placed at the AGM, are requested to write to the Company at least 7 days before that date of AGM through e-mail at secretary@bel.co.in. The same will be suitably replied by the Company.
16. Members, holding shares in physical form, may avail the facility of nomination in terms of Section 72 of the Companies Act, 2013 by nominating in the Form SH-13 as prescribed in the Companies (Share Capital & Debentures) Rule, 2014, any person to whom their shares in the Company shall vest on occurrence of event stated in the Form. Persons holding shares in physical form may send Form SH-13 in duplicate to RTA of the Company. In case of shares held in dematerialized form, the nomination has to be lodged with the respective DPs.
17. The Company has appointed Central Depository Services (India) Limited (CDSL), to provide Video Conferencing facility for the 66th AGM of the Company. Members will be able to attend the AGM through VC/ OAVM or view the live webcast of the AGM by logging on the e-voting website of <https://www.evotingindia.com> using their secure login credentials.
18. **Instructions for the Members for attending the AGM through VC/OAVM:**
 - a. Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the CDSL e-Voting system. Members may access the same at <https://www.evotingindia.com> under shareholders/ members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholder/members login where the EVSN of Company will be displayed.

- ख. बेहतर अनुभव के लिए शेयरधारकों को लैपटॉप / आईपैड द्वारा बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया जाता है। इसके अलावा, बैठक के दौरान किसी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए शेयरधारकों को अपने लैपटॉप / आई पॉड के कैमेरा और अच्छी स्पीड युक्त इंटरनेट का उपयोग करना होगा।
- ग. कृपया नोट करें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के ज़रिए जुड़ने वाले सहभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में परिवर्तन के कारण ऑडियो / वीडियो का व्यवधान हो सकता है। इसलिए, सुझाव दिया जाता है कि इस प्रकार की परेशानियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का इस्तेमाल करें।
- घ. सदस्य सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए एजीएम के शुरु होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और एजीएम के दौरान वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं।
- ङ. वीसी / ओएवीएम द्वारा एजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आओ – पहले पाओ आधार पर 1200 सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। बृहद् शेयरधारकों (जहाँ शेयरधारकों की शेयरधारिता 2% या उससे अधिक है), प्रवर्तकों, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन व पारिश्रमिक समिति और पणधारक संबंध समिति के अध्यक्षों, लेखा परीक्षकों आदि के लिए एजीएम में पहले आओ-पहले पाओ आधार पर प्रवेश में कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
- च. सदस्य अपने रिमोट ई-वोटिंग सूचनाओं का उपयोग करते हुए सीडीएसएल द्वारा दिए गए वीडियो कॉन्फरेंसिंग प्लेटफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। कृपया नोट करें कि ऐसे सदस्य जिनके पास ई-वोटिंग के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है या जो अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे इस रिमोट ई-वोटिंग अनुदेशों का पालन करते हुए उन्हें दोबारा प्राप्त कर सकते हैं।
- छ. ऐसे सदस्य जो एजीएम के दौरान अपने विचार रखना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं वे 18 सितंबर 2020 (सुबह 9.00 बजे आई.एस.टी.) से 27 सितंबर 2020 (शाम 5 बजे आई.एस.टी.) तक secretary@bel.co.in में कंपनी को ईमेल भेजते हुए स्पीकर के रूप में स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने स्वयं को स्पीकर के रूप में पंजीकृत किया है, केवल वे ही एजीएम के दौरान अपने विचार रख सकते हैं / प्रश्न पूछ सकते हैं। कंपनी एजीएम में समय की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए स्पीकरों की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। कृपया नोट करें कि सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर तभी दिए जाएंगे जब शेयरधारक निर्दिष्ट तारीख पर कंपनी के शेयर धारित करते हैं।
- b. Shareholders are requested to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience. Further shareholders will be required to allow camera of their Laptops / IPads and use internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
- c. Please note that participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
- d. The Members can join the AGM through VC/OAVM, 15 minutes before the scheduled time of commencement of AGM and during the AGM by following the procedure mentioned in the Notice.
- e. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available to 1200 Members on first come first served basis. No restrictions on account of first come first served basis entry into AGM will be applicable to large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairman of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc.
- f. Members may access the video conferencing platform provided by CDSL by using their remote e-voting credentials. Please note that the Members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions.
- g. Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may register themselves as a speaker by sending e-mail to the Company at secretary@bel.co.in from 18 September 2020 (9:00 a.m. IST) to 27 September 2020 (5:00 p.m. IST). Those Members who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the AGM. The Company reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM. Please note that, Members questions will be answered only if the shareholder continues to hold shares of the Company as on the cut-off date.